कीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ–35, अंक – 24 | दिसंबर 16–31, 2021 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ–6

किसानों के लिए आगे का रास्ता

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 14 दिसंबर, 2021

दिल्ली की सरहदों पर बीते एक साल से चल रहा किसान आन्दोलन अब समाप्त हो गया है। 9 दिसंबर को संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली की सरहदों को छोड़ने का फ़ैसला लिया। यह फ़ैसला केंद्र सरकार द्वारा तीनों किसान–विरोधी क़ानूनों के रद्द किए जाने और दूसरी मांगों पर केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन हासिल करने के बाद लिया गया। सरकार ने एक कमेटी स्थापित की है जो यह सिफारिश करेगी कि सभी राज्यों में सभी फ़सलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार इस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चुने गए कुछ प्रतिनिधियों को शामिल करने का वादा कर रही है।

राजनीतिक तौर से जागरुक किसान बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों की किसी मांग के लिए कमेटी बिठाना हुक्मरान वर्ग की एक पुरानी चाल है जिसे उन्होंने भूतपूर्व अंग्रेज शासकों से सीखा है। यह एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए हुक्मरान वर्ग आंदोलनकारियों को थका देता है, उनके कुछ नेताओं को अपने साथ कर लेता है और लोगों की जुझारू एकता को तोड़ देता है। ऐसी किसी कमेटी में अगर किसान संगठन के कुछ नेताओं को शामिल भी कर लिया जाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी।

हिन्दोस्तानी गणराज्य जिसे दुनिया का सबसे आबाद लोकतंत्र कहा जाता है, यह वास्तव में टाटा, अंबानी, बिरला, अडानी और दूसरे इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में मुट्ठीभर अति–धनवानों की सेवा करता है। ये इजारेदार पूंजीवादी घराने ही हर सरकार के एजेंडा को निर्धारित करते हैं। हर एक पार्टी, जिसे सरकार चलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी जाती है, चाहे केंद्र में या किसी राज्य में, वह पूंजीपति वर्ग की दौलत को बढ़ाने और हिन्दोस्तानी तथा विदेशी इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों के वर्चस्व को बढ़ाने का ही काम करती रही है।

हमारे देश के किसानों के सामने आज यह सवाल है कि हमें अब क्या करना होगा? इतने लंबे और बहादुर संघर्ष के बाद, सत्ता की लाठियों, आंसू गैस, पानी की बौछारों, झुलसती गर्मी, कड़ाके की ठंड, मूसलाधार वर्षा, इन सबको सहने के बाद किसान अपने भविष्य को सरकार के हाथों में या सरकार की किसी कमेटी के हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं। आगे के कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए यह ज़रूरी है कि अब तक किए गए संघर्ष का सही मूल्यांकन किया जाए, इसमें क्या हासिल हुआ है और क्या हासिल नहीं हुआ है, इसका सही विश्लेषण किया जाए।

दिल्ली की सरहदों पर एक साल से ऊपर तक विरोध करने के बाद अब किसान अपने गांव वापस जा रहे हैं, तो वहां उन्हें फिर से उन सारी समस्याओं का सामना करना होगा जो पहले भी उन्हें करना पड़ता था। उन्हें फिर से पूंजीवादी कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे लागत के सामान की बढ़ती क़ीमत को झेलना पड़ेगा। उन्हें कुदरत की अनिश्चितता, सिंचाई के लिए पानी की कमी, आदि जैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। अधिकतम किसानों को अपनी फ़सल को कम से कम क़ीमतों पर बेच कर तबाह होना पड़ेगा। फिर से हजारों–हजारों किसानों को हर साल खुदकुशी करने को मजबूर होना पड़ेगा।

सरकार की कृषि नीति की दिशा और इरादों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कृषि व्यापार के उदारीकरण के एजेंडा को नहीं बदला गया है। निजी इजारेदार कंपनियों के वर्चस्व को और विस्तृत करने के इरादे से सरकारी खरीदी और सरकारी वितरण व्यवस्था का विनाश करने की नीति में कोई तब्दीली नहीं हुई है।

बीते साल के संघर्ष का यह नतीजा अवश्य हुआ है कि मेहनतकश लोगों की राजनीतिक जागरुकता बढ़ गयी है। मज़दूर और किसान अब समझ रहे हैं कि वे एक ही दुश्मन, यानी बड़े–बड़े कारपोरेट घरानों, के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़ एकता बढ़ रही है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मज़दूर और किसान वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। मज़दूर और किसान यह समझ रहे हैं कि वर्तमान व्यवस्था में फ़ैसले लेने की ताक़त जनसमुदाय के हाथों में नहीं है। फ़ैसले कारपोरेट घरानों द्वारा लिए जाते हैं और मंत्रीमंडल उन्हें लागू करता है। संसद कारपोरेट घरानों के फ़ैसलों को क़ानून का रूप देने के लिए, उन पर मुहर लगाती है।

बीते कई वर्षों से यह राजनीतिक व्यवस्था बहुत बदनाम होती जा रही है। 2016 में

शेष पृष्ठ 6 पर

बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 29वीं बरसी पर विरोध सभा

6 दिसंबर, 2021 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 29वीं बरसी पर, कई राजनीतिक पार्टियों और जन–संगठनों ने संसद मार्ग पर एक संयुक्त विरोध सभा आयोजित की। हमारे बीच फूट डालने के शासक वर्ग के सभी प्रयासों के ख़िलाफ़ हमारे लोगों की एकता को बरकरार रखने के निर्णय को सभा में एक बार फिर से दोहराया। लोगों के ख़िलाफ़ इस तरह के जघन्य अपराधों के सभी दोषियों को सज़ा दिलाने और इंसाफ के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प इस सभा में लिया गया।

मुख्य बैनर पर लिखे नारे – "बाबरी मस्जिद के विध्वंस के गुनहगारों को सज़ा दिलाने का संघर्ष जारी है!", "अमन–शांति क़ायम करने का यही रास्ता है!", "एक पर हमला सब पर हमला!" – विरोध सभा की भावनाओं को दर्शाते हैं। आयोजन स्थल के चारों ओर की दीवारों पर "राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय–आतंकवाद मुर्दाबाद!", "लोगों की एकता की सुरक्षा करो!", "गुनहगारों को सज़ा दो!", आदि नारों के बैनर लगे थे।

लोक राज संगठन, हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी, सोशल–डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, सी.पी.आई.–एम.एल. (न्यू प्रोलेतेरियन), सिटिजन्स फॉर डेमोक्रेसी, पी.यू.सी.एल. (दिल्ली), हिंद नौजवान एकता सभा, जमात–ए–इस्लामी हिंद, लोकपक्ष, मज़दूर एकता कमेटी, एन.सी.एच.आर.ओ., पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पुरोगामी महिला संगठन, सिख फोरम, स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस–ए–मुशावरत, ऑल इंडिया लॉयर्स काउंसिल, ए.पी.सी.आर. (दिल्ली चैप्टर), दलित आवाज़ और देसीया मक्कल शक्ति कच्ची ने मिलकर संयुक्त रूप से सभा का आयोजन किया था। कार्यक्रम में ए.आई.एफ.टी.यू., इंक़लाबी मज़दूर केंद्र और पीपुल्स फ्रंट के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। बैठक में शामिल कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा में उपस्थित सहभागियों को संबोधित किया।

बाबरी मस्जिद के गुनहगारों को सज़ा देने के लिये संयुक्त प्रदर्शन (6 दिसंबर 2021)

29 साल पहले, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, तब हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी ने हिन्दोस्तान के शासक वर्ग और उसकी राजनीतिक पार्टियों जैसे कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा द्वारा हिन्दोस्तान के लोगों के ख़िलाफ़ किए गए इस जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की थी। तब से कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी लगातार इन अपराधियों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाती आयी है और लगातार यह मांग करती आयी है कि इस ऐतिहासिक स्मारक के विध्वंस में शामिल, सभी गुनहगारों को सज़ा दी जाए।

हमारी पार्टी ने लगातार इस सच को बताया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली

शेष पृष्ठ 5 पर

अंदर पढ़ें

- नगालैंड : आफ्स्पा रद्द करो! 2
- व्यापारिक इजारेदारियों का बढ़ता वर्चस्व 3
- पाठकों से 3
- कनाडा में शिशु पालन मज़दूरों की हड़ताल 4
- ब्रिटेन स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण का विरोध 4
- अमरीकी स्वास्थ्य मज़दूरों की हड़ताल 4
- एनएचएम मजदूरों की हड़ताल 5

नगालैंड में सशस्त्र बलों द्वारा की गई ग्रामीणों की हत्याओं की निंदा करो! सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम को रद्द करो!

4 दिसंबर को नगालैंड के मोन जिले में केंद्रीय सशस्त्र बलों ने 14 ग्रामीणों की गोली मारकर, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। सशस्त्र बलों ने सबसे पहले, अपने गांव लौट रहे कोयला खनिकों को ले जा रहे एक पिकअप ट्रक पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप छह मज़दूरों की मौत हो गई। इस कार्यवाही को "आतंकवाद–विरोधी" प्रक्रिया के रूप में न्यायोचित ठहराने के लिए, सेना के जवानों ने इन मृत कोयला खनिकों को विद्रोहियों की वर्दी पहनाने की कोशिश भी की। जब लोग इस दर्दनाक घटना की निंदा करने के लिए सेना के कैंप के बाहर, विरोध प्रदर्शन करने के लिये एकत्र हुए, तो उन पर गोलियां चलाई गईं जिसके परिणामस्वरूप आठ और लोगों की मौत हो गई।

गृहमंत्री ने दावा किया है कि ये निर्मम हत्याएं ग़लत खुफिया जानकारी का परिणाम थीं। उन्होंने कहा है कि सशस्त्र बलों ने ट्रक को रुकने के लिए कहा और जब ट्रक नहीं रुका तब उन्होंने फायरिंग कर दी। जिन लोगों ने इस हत्या को स्वयं अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने इस कहानी का खंडन किया है। यह केंद्रीय सशस्त्र बलों द्वारा किए गए अपराध को छिपाने का एक जबरदस्त प्रयास है।

हत्या के विरोध में नगा छात्रों का प्रदर्शन

उपनिवेशवादियों ने 1942 में हिन्दोस्तानी लोगों के उपनिवेशवाद–विरोधी मुक्ति संघर्ष को दबाने के लिए लागू किया था। 1958 में जवाहर लाल नेहरू की सरकार ने संसद में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम–1958 को पारित किया, ताकि उन क्षेत्रों में जहां नगा लोग रहते थे वहां पर सेना का शासन लागू किया जा सके और नगा लोगों के राष्ट्रीय–अधिकारों के लिए चलाये जा रहे उनके संघर्ष को कुचला जा सके। तब से नगा लोग सशस्त्र बलों के निर्मम शासन तले जीने को मजबूर हैं।

यह कुख्यात क़ानून, इस समय नगालैंड, जम्मू–कश्मीर, मणिपुर, असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में लागू है। यह क़ानून लोगों के बुनियादी मानवाधिकारों का उल्लंघन करके जन–विरोधी और एक क्रूर सैन्य–शासन को वैध बनाता है। अक्सर फ़र्जी–मुठभेड़ों में लोगों की हत्या कर दी जाती है और बाद में उन्हें "आतंकवादी" घोषित कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ सामूहिक–दुष्कर्म किया जाता है। सेना के आतंकवाद–विरोधी अभियानों में बच्चों सहित आम नागरिकों का "मानव ढाल" के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कभी–कभी लोगों के घरों और उनकी संपत्ति – यहां तक कि पूरे के पूरे गांव भी – पूरी तरह से बर्बाद कर दिये जाते हैं।

आफ्स्पा के ख़िलाफ़ अखिल मणिपुर छात्र यूनियन

असम की सभी छात्र यूनियनों ने अफ्स्पा के ख़िलाफ़ प्रदर्शन किया

इन हत्याओं के बाद, नगालैंड के आम लोग एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं और दोषी सैनिकों को सज़ा देने और सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर नगालैंड के लोगों के तमाम संगठन एकजुट हो गए हैं। यह कुख्यात क़ानून, उस जन–विरोधी क़ानून के आधार पर बनाया गया है, जिसे बर्तानवी के पास वस्तुतः कोई ताक़त नहीं है और वे सशस्त्र बलों के ही अधीन हैं। आफ्स्पा और सेना का शासन पूंजीवादी इजारेदार घरानों की सेवा करते हैं, जो केंद्रीय राज्य पर हावी हैं। यह राज्य पूंजीवादी इजारेदार घरानों के हित में उन सभी राष्ट्रों और राष्ट्रीयताओं पर, जो हिन्दोस्तानी संघ का हिस्सा हैं, अपनी लूट को जारी रखने की सुविधाएं प्रदान करता है। यह राज्य, हिन्दोस्तान के विभिन्न राष्ट्रों और लोगों के राष्ट्रीय अधिकारों के लिए किये जा रहे उनके बहादुर संघर्ष को कुचलने का एक साधन है।

जब भी लोग आफ्स्पा को रद्द करने की मांग करते हैं तो केंद्र सरकार इस जायज़ मांग को खारिज़ कर देती है। कारण यह बताया जाता है कि इस क़ानून को निरस्त करने से "सशस्त्र बलों के मनोबल" पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसी धारणा फैलाने की कोशिश की जाती है कि सेना के सशस्त्र बल, इन क्षेत्रों में दुश्मन–ताक़तों के ख़िलाफ़, एक कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसे क़ानून की ज़रूरत है। हक़ीक़त में केंद्र सरकार, आफ्स्पा का इस्तेमाल करके लोगों को उनके राष्ट्रीय अधिकारों से वंचित करती है।

मणिपुर के एक जन संगठन, एक्स्ट्राजुडिशियल एक्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज एसोसिएशन (ई.ई.वी.एफ.ए.एम.) ने 2012 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया। दर्ज किये गये मामले में मणिपुर में सशस्त्र बलों द्वारा की गई गैर क़ानूनी हत्याओं के 1528 मामलों से संबंधित दस्तावेज़ों को पूरे विवरण सहित पेश किया गया। इन अपराधों के लिए किसी भी आरोपी पर अब तक मुक़दमा नहीं चलाया गया है। वे सभी आफ्स्पा द्वारा संरक्षित हैं।

उन सभी राज्यों में, जहां आफ्स्पा लागू किया गया है वहां पर सेना के शासन ने हक़ीक़त में नागरिक शासन की जगह ले ली है। इन राज्यों में निर्वाचित सरकारों के पास वास्तुतः कोई ताक़त नहीं है और वे सशस्त्र बलों के ही अधीन हैं।

हिन्दोस्तानी सरकार द्वारा, नगालैंड, मणिपुर, कश्मीर और अन्य स्थानों पर जहां आफ्स्पा लागू है, वहां लोगों पर आतंक के शासन को थोपने का कोई औचित्य नहीं है। औपनिवेशिक युग के इस लोकतंत्र–विरोधी क़ानून को जारी रखने की न तो कोई वजह है और न ही कोई आधार है। इसे तत्काल निरस्त करने की मांग पूरी तरह से जायज़ है और समाज के सभी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताक़तों को इस मांग का पुरज़ोर समर्थन करना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/21641

अरुणाचल प्रदेश के छात्रों ने आफ्स्पा को हटाने की मांग की

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810187911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण पर व्यापारिक इजारेदारियों का बढ़ता वर्चस्व

हाल के वर्षों में जिओमार्ट, वॉलमार्ट, मेट्रो कैश एंड कैरी, बुकर, इलास्टिक्रु, उड़ान, आदि जैसी व्यापार से व्यापार (बी2बी) वितरण कंपनियों का खुदरा व्यापार पर वर्चस्व बढ़ा है।

बी2बी वितरण कंपनियां अपने उत्पादों को फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों (एफ.एम.सी.जी.) से खरीदती हैं और उन्हें किराना की दुकानों तक पहुंचाती हैं – स्थानीय खुदरा दुकानें जहां से लोग इन सामानों को खरीदते हैं। रिलायंस का जियोमार्ट देशभर में किराना दुकानों के मालिकों को भारी छूट देकर उन्हें रिलायंस के जियोमार्ट पार्टनर ऐप से अपना सामान ऑर्डर करने के लिए आक्रामक रूप से आकर्षित करता है। इसी पद्धति का उपयोग अन्य बी2बी वितरण कंपनियों द्वारा भी किया जा रहा है।

बी2बी वितरण कंपनियों ने उपभोक्ता उत्पादों के कई पारंपरिक वितरकों को बर्बाद कर दिया है। इसकी वजह से विभिन्न वितरकों के लिए काम करने वाले लाखों सेल्समैनों की रोज़ी–रोटी पर ख़तरा मंडरा रहा है। कई वितरण कंपनियों ने बताया है कि उन्हें वाहनों और कर्मचारियों के खर्च में कटौती करने को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनका व्यापार नीचे गिर रहा है, क्योंकि वे जियोमार्ट या ऐसी ही किसी अन्य इजारेदार कंपनी द्वारा दी जा रही क़ीमतों का सामना नहीं कर पा रहे हैं।

हिन्दोस्तान में लगभग 68 लाख करोड़ रुपये के खुदरे बाज़ार का 80 प्रतिशत हिस्सा किराना की दुकानों के पास है। ख़बर है कि इस समय देशभर के 150 शहरों में करीब 3 लाख ऐसी किराना दुकानें रिलायंस से अपना माल मंगवाती हैं। रिलायंस ने 2024 तक एक करोड़ पार्टनर स्टोर बनाने का लक्ष्य रखा है।

इजारेदार व्यापार वितरण कंपनियों के ख़िलाफ़ दिल्ली के व्यापारियों का प्रदर्शन (फाइल फोटो)

इतने बड़े और बढ़ते खुदरा बाज़ार पर नियंत्रण स्थापित करके, रिलायंस जियो मार्ट और ऐसी ही अन्य कंपनियां एफ.एम.सी.जी. कंपनियों को अपने उत्पादों पर भारी छूट देने के लिए मजबूर करने में सक्षम हैं। जो कंपनियां उनकी शर्तों पर अपना माल देने को तैयार नहीं होती तो उनके माल की सप्लाई रोक देने की धमकी दी जाती है।

ऐसे में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन (ए.आई.सी.पी.डी.एफ.) ने विरोध की आवाज़ उठाने का फ़ैसला किया है। ए.आई.सी.पी.डी.एफ. एक ऐसी संस्था है जो एफ.एम.सी.जी. के लगभग 4 लाख डीलरों और वितरकों का प्रतिनिधित्व करती है।

ए.आई.सी.पी.डी.एफ. ने एफ.एम.सी.जी. कंपनियों को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि रिलायंस के जियोमार्ट और ऐसी ही अन्य कंपनियों द्वारा दी जाने वाली भारी छूट उपभोक्ता उत्पादों के मौजूदा वितरकों को बर्बाद कर रही है। हिन्दोस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको, डाबर इंडिया, आई.टी.सी. लिमिटेड, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, नेस्ले इंडिया आदि जैसी बड़ी कंपनियों को पत्र भेजा गया है।

फेडरेशन ने मांग की है कि एफ.एम.सी.जी. कंपनियां अपने उत्पादों को उन्हें भी समान क़ीमतों और शर्तों पर अपना माल बेचें, जिस क़ीमत पर वे रिलायंस जियोमार्ट और ऐसी ही अन्य कंपनियों को देती हैं। इन कंपनियों को लिखे पत्र में फेडरेशन ने कहा है कि, 'हम अपने निर्धारित क्षेत्र में आपकी कंपनी के अधिकृत चैनल पार्टनर हैं। हमने अपने खुदरा विक्रेताओं को कई वर्षों तक अच्छी सेवा देकर प्रतिष्ठा और सद्भावना अर्जित की है। हम समझते हैं कि जिओमार्ट और अन्य बी2बी कंपनियां उन्हें आपकी कंपनी के उत्पादों को कम क़ीमत पर बेच रही हैं और इससे हमारी प्रतिष्ठा और सद्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए, हमारी मांग है कि यह सुनिश्चत किया जाये के आपके उत्पादों को जिन क़ीमतों पर जियोमार्ट और बी2बी कंपनियां बेचती हैं हम भी उसी क़ीमत पर आपके उत्पादों को बेच पायें।

ए.आई.सी.पी.डी.एफ. ने एफ.एम.सी.जी. कंपनियों से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि जियोमार्ट और अन्य बी2बी कंपनियों को कोई तरजीह न दी जाए। फेडरेशन ने 1 जनवरी, 2022 से देशव्यापी कार्रवाई करने की धमकी दी है, जिसमें वह उन एफ.एम.सी.जी. कंपनियों के उपभोक्ता उत्पादों के वितरण का बहिष्कार करेगी जो उनकी मांगों से सहमत नहीं हैं।

वितरण कंपनियों और उनके प्रभावित सेल्समैनों की मांग से पता चलता है कि कैसे इजारेदार पूंजीवादी कंपनियां छोटे वितरकों और मज़दूरों को बर्बाद कर रही हैं। ये इजारेदार पूंजीवादी व्यापारिक कंपनियां थोक और खुदरा व्यापार पर अपना नियंत्रण और प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क़दम दर क़दम काम कर रही हैं। वे तय करते हैं कि किस एफ.एम.सी.जी. कंपनी से और किस क़ीमत पर उत्पादों को प्राप्त करेंगे, इस तरह इन उत्पादों के थोक व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। साथ ही, वे किराना स्टोरों से समझौता करके खुदरा व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं।

संक्षेप में, जो हो रहा है वह इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों द्वारा व्यापार के सभी पहलुओं पर बढ़ता नियंत्रण और वर्चस्व है।

http://hindi.cgpi.org/21639

पाठकों से

बाबरी मस्जिद के विध्वंस के 29 वर्ष बाद

संपादक महोदय,

हिन्दोस्तान और दुनिया का पूंजीपति वर्ग निजीकरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में देश की आम जनता में अनेकों हथकंडों का इस्तेमाल करके मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ने का काम हमेशा करता रहता है। वह धार्मिक भेदभाव, साम्प्रदायिक दंगे, जैसे कि इस्लामिक और सिख आतंकवाद का हौवा खड़ा करके हिंसा फैलाना, क़त्लेआम करवाना और लोगों में फूट डालने की नीति का इस्तेमाल समय–समय पर करता रहता है; 1984 के क़त्लेआम में सिखों का क़त्लेआम करवाने में राज्य का वहशी चरित्र साफ दिखाई देता है। इसके बाद में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा आयोजित करके फूट डालने का काम आज तक जारी है। हाल ही में चलाया गया अयोध्या विवाद ऐसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसमें बाबरी मस्जिद के स्थान पर ही राम मंदिर बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे हथकंडों का इस्तेमाल करके बांटो और राज करो की नीति को अंजाम दिया जा रहा है; हुक्मरान वर्ग के हितों की हिफ़ाज़त करने वाली सरकार की यह नीति है।

हुक्मरान वर्ग के उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम को हर सरकार, चाहे वह कांग्रेस पार्टी की हो या भाजपा की, अपने–अपने कार्यकाल में सभी इस कार्य को बढ़ावा देती रही हैं और इसी कारण इन दंगों और क़त्लेआम के मुख्य दोषियों को आज तक सज़ा नहीं दी गई है।

1984 के सिख हत्याकांड के कई सच उजागर हुए, जिसमें राज्य के शामिल होने के कई पहलू सामने आये, जैसे कि सिखों का क़त्लेआम करने के लिए राज्य द्वारा खुद वोटर लिस्ट दिए गए थे, इसी तरह जब बाबरी मस्जिद के हत्याकांड के पहलुओं की जांच की गयी तो यह साफ हो गया कि वहां रातों–रात रामलला की मूर्ति स्थापित करवाकर अयोध्या मंदिर के निर्माण और इस बड़े हत्याकांड की साजिश रची गयी थी।

देश में होने वाली सभी बड़ी घटनायें, जो आम लोगों के हित में नहीं हैं, जो हुक्मरान वर्गों के हितों की रक्षा करती हैं ऐसी तमाम घटनाओं, दुर्घटनाओं और षड्यंत्रों में राज्य का तंत्र पूरी तरह शामिल है। यह कहना कि आम लोग सांप्रदायिक हैं बिलकुल ग़लत होगा, हक़ीक़त तो यह है कि राज्य का चरित्र ही सांप्रदायिक है। इस साम्प्रदायिकता रूपी हथियार का इस्तेमाल करके वह वर्ग संघर्ष को तोड़ने की कोशिश करता है। यही हमें बाबरी मस्जिद के सन्दर्भ में भी साफ़ समझ आता है। लेख बहुत ही सटीक और स्पष्ट है।

प्रियंवदा
मुंबई

किसान आन्दोलन के सामने कुछ सवाल

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी के महासचिव, लाल सिंह का मज़दूर एकता लहर के साथ साक्षात्कार

हिन्दी, पंजाबी और अंग्रेजी में उपलब्ध
(कीमत 25 रू. और डाक खर्च 20 रू.)
निम्नलिखित पते पर मनीआर्डर या बैंक ट्रांसफर करें
लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कालका जी,नई दिल्ली, खाता संख्या : 20066800626, ब्रांच कोड : 00974, IFSC: MAHB0000974

संपर्क करें :– ई–392, लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संजय कालोनी, ओखला फेस–2, नई दिल्ली – 110020, फोन : 9810167911, 9868811998

कनाडा में शिशु पालन मज़दूरों की हड़ताल

1 दिसम्बर, 2021 को कनाडा के क्यूबैक प्रांत के शिशु पालन केन्द्रों (ई.सी.सी.) में काम करने वाले हज़ारों मज़दूर हेल्थ एण्ड सोशल सर्विसेस फेडरेशन ऑफ यूनियन्स (एफ.एस.एस.एस.–सी.एस.एन.) के झंडे तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उतरे।

हड़ताल करने वाले मज़दूरों में लगभग 11,000 मज़दूर 400 ई.सी.सी. की 700 सुविधाओं में काम करते हैं, क्योंकि अधिकतर ई.सी.सी. में एक से अधिक सुविधाएं होती हैं। ये ई.सी.सी. क्यूबैक में हर जगह फैले हुए हैं। इनमें काम करने वालों में बाल शिक्षक और विशेष शिक्षक शामिल हैं जो पांच साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा देते हैं, यानी कि किंडरगार्टन में प्रवेश के पहले। उनको बच्चों के ज्ञानात्मक, भाषा संबधित और मोटर कौशल के विकास में मदद देने के लिये प्रशिक्षित किया गया है। वे उन बच्चों को पहचानते हैं जिन्हें विशेष मदद की ज़रूरत होती है, ताकि उन्हें भी बाकी

बच्चों के स्तर तक लाया जा सके। रसोईघर में काम करने वाले मज़दूर जो बच्चों के लिये भोजन तैयार करते हैं व उसके लिये सामग्रियों का इंतजाम करते हैं तथा साफ़ सफाई करने वाले मज़दूर भी इनमें शामिल हैं। ई.सी.सी. में काम करने वाले प्रशासनिक मज़दूर भी हड़ताल में शामिल हैं।

हड़ताली मज़दूरों की मुख्य मांगों में सभी श्रेणियों के मज़दूरों के वेतन में बढ़ोतरी और हरेक श्रेणी के मज़दूरों के लिये दूसरी सेवाओं में काम करने वाले मज़दूरों के साथ वेतन समता शामिल हैं। वे अपने कार्यभार में कमी की मांग कर रहे हैं, शिक्षक–शिशु अनुपात में बढ़ोतरी के साथ–साथ विशेष मदद की ज़रूरत वाले बच्चों की देखभाल के लिये अन्य मज़दूरों की नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कि हड़ताली मज़दूर मांग कर रहे हैं कि बाल विकास में उनकी विशेष भूमिका को ध्यान में रखते हुए उनके पेशे की गरिमा और उसके अनुसार उनके वेतन की पुष्टि होनी चाहिये।

ई.सी.सी. के मज़दूर पक्की एकता के साथ और आपस में भाइचारे के साथ अपना संघर्ष जारी रख रहे हैं। उन्हें बच्चों के अभिवकों और संपूर्ण समुदाय से समर्थन मिला है।
http://hindi.cgpi.org/21675

ब्रिटेन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के निजीकरण का विरोध

ब्रिटेन के मज़दूर वर्ग और आम जनता द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के ख़िलाफ़ चलाये जा रहे संघर्ष में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.एस.) के मज़दूर सबसे आगे हैं।

22 नवंबर को जब ब्रिटिश सरकार ने स्वास्थ्य और देखभाल विधेयक (हेल्थ एंड केयर बिल) को संसद में चर्चा और मतदान के लिए पेश किया, तो एन.एच.एस. के मज़दूरों, ट्रेड यूनियनों और स्वास्थ्य पर अभियान चलाने वाले संगठनों ने, अलग–अलग तरीक़ों से इस विधेयक का विरोध किया।

सरकार से विधेयक को वापस लेने की मांग करने वाली, तीन लाख से अधिक लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका पेश की गई। इसके बाद, शाम को एक रैली हुई, जिसमें एन.एच.एस. के भविष्य की सुरक्षा के लिए, आंदोलन के कई कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी।

रैली में, विभिन्न वक्ताओं ने निजीकरण को समाप्त करने, एन.एच.एस. के लिए बजट को बढ़ाने और एन.एच.एस. के मज़दूरों के लिए बेहतर वेतन और बेहतर काम करने की हालातों को मुहैया कराने का आह्वान किया।

विरोध की कार्रवाई से पहले, "यूनाइट द यूनियन" के महासचिव ने बताया कि एन.एच.एस. में इस समय मज़दूर काम की ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, जो किसी भी हालत में लोगों को मंजूर नहीं हो सकती। कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो गई है और काम का

बोझ बहुत बढ़ गया है। सरकार वेतन कटौती पर ज़ोर दे रही है। स्वास्थ्य और देखभाल विधेयक का इस्तेमाल, एन.एच.एस. को पूरी तरह से समाप्त करने और उसके निजीकरण का रास्ता खोलने के लिए किया जा रहा है। यह विधेयक लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा के स्तर में गिरावट और एन.एच.एस. के कर्मचारियों के वेतन और काम करने के हालातों पर और भी भयानक हमलों की तैयारी है। उन्होंने इस समय लगातार चल रहे हमलों का कड़ा विरोध करने का आह्वान किया।

लोगों के बीच किए गए एक जनमत संग्रह में पाया गया कि 70 प्रतिशत से अधिक लोग चिंतित हैं कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप, एन.एच.एस. के कॉन्ट्रैक्ट अब निजी कंपनियों को सौंप दिए जाएंगे। यह भी पाया गया कि लोग चाहते हैं कि एन.एच.एस. के लिए पर्याप्त धन मुहैया कराया जाए, जिससे इस सम्पूर्ण सार्वजनिक सेवा को भली–भांति चलाया जा सके और इसकी सेवाएं सभी लोगों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हों। दूसरी ओर, सरकार जानबूझकर एन.एच.एस. को समाप्त करने पर तुली हुई है और इसे कॉर्पोरेट घरानों के मुनाफ़ों का साधन बनाने जा रही है।

लंदन में स्वास्थ्य और देखभाल विधेयक के ख़िलाफ़ विरोध से, साफ–साफ पता चलता है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर हमलों के ख़िलाफ़ ब्रिटेन के लोगों का प्रतिरोध बढ़ रहा है। लोगों को यह समझ आ रहा है कि सरकार एन.एच.एस. को पूंजी–केंद्रित दिशा में चलाने की कोशिश कर रही है, ताकि उसे कॉरपोरेट घरानों के मुनाफ़ों का स्रोत बनाया जा सके। लोगों में यह चेतना बन रही है कि एन.एच.एस. को एक ऐसी नई दिशा दिलाने की सख्त ज़रूरत है जो मानव–केंद्रित हो, जिसमें सरकारी अधिकारी जनसमुदाय के बीच में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और लोगों से सलाह करके, उनकी ज़रूरतों के बारे में जानें और फ़ैसले लेने में उन्हें शामिल करें।

जहां सार्वजनिक–प्राधिकरण, स्वास्थ्य कर्मचारियों को, और जिन समुदायों में वे सेवारत हैं, उन लोगों की ज़रूरतों के बारे में उनसे सीधे बात करने और उन सभी को, एनएचएस के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए शामिल किया जाए।
http://hindi.cgpi.org/21666

अमरीका में स्वास्थ्य क्षेत्र के मज़दूर हड़ताल पर उतरे

अमरीका में स्वास्थ्य क्षेत्र के मज़दूर, काम के स्थानों पर भयंकर शोषण व काम की दमनकारी शर्तों के ख़िलाफ़ जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं।

19 नवंबर को कैलिफोर्निया में कैसर परमानेंटे हेल्थ केयर सर्विस की नर्सें और मानसिक स्वास्थ्य मज़दूर, उसी कंपनी के इंजीनियरों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। कंपनी के इंजीनियर इमारतों और स्वास्थ्य सेवा के सभी उपकरणों के रखरखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं।

कैसर के सैन होसे मेडिकल सेंटर के बाहर सैकड़ों इंजीनियर, नर्सें और मानसिक स्वास्थ्य मज़दूर पिकेट लाइन पर थे। उनकी तख़्तियों पर लिखा हुआ था "मरीज मुनाफ़े से ज्यादा महत्वपूर्ण!" और "मज़दूरों को सुरक्षा दो!"।

कंपनी के इंजीनियर 17 सितंबर से हड़ताल पर थे, जब उनका पिछला अनुबंध समाप्त हो गया था। कंपनी ने इंजीनियरों की वेतन वृद्धि की मांग पर ध्यान देने से इनकार कर दिया था, जिससे इंजीनियरों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

नर्सों की यूनियन एक नए अनुबंध की मांग कर रही है जिसमें वेतन वृद्धि भी शामिल हो। उन्होंने कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। कंपनी ने वेतन में महज एक प्रतिशत की बढ़ोतरी की पेशकश की है। इसके अलावा उसने यूनियन से मांग की है कि काम पर लगी मौजूदा

नर्सों की तुलना में नई नर्सों को 20 प्रतिशत कम वेतन के लिये यूनियन सहमत हो। नर्सों की यूनियन ने इन प्रस्तावों को ख़ारिज कर दिया है। अपनी स्थिति को उजागर करने के लिए 20,000 नर्सें, इंजीनियरों के साथ एकजुटता से हड़ताल में जुड़ गयी हैं।

एक हड़ताली नर्स ने घोषणा की कि "यह बड़ी दुःख की बात है कि जिस कंपनी के लिए हमने पिछले दो वर्षों में इस महामारी के दौरान अथक परिश्रम किया, वह कर्मचारियों से मुंह मोड़ रही है।"

कंपनी के हजारों मानसिक स्वास्थ्य मज़दूरों ने हड़ताली इंजीनियरों के साथ हमदर्दी प्रकट करते हुये रैली निकाली। उनका अनुबंध 1 अक्तूबर को समाप्त हो गया और कंपनी ने एक नए अनुबंध पर बातचीत करने से इनकार कर दिया। मानसिक स्वास्थ्य मज़दूरों ने बताया कि कंपनी में मज़दूरों की बहुत कमी है। प्रबंधन ने काम का बोझ कम करने के लिए नए मज़दूरों को नियुक्त करने से इनकार कर दिया है। रोगियों की संख्या में कोई सीमा नहीं है। नतीजतन, मरीजों को कभी–कभी अपनी अगली नियोजित मुलाक़ात के लिए एक से तीन महीने तक इंतजार करना पड़ता है। कुछ मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय तक प्रतीक्षा करने से रोगियों पर भयानक प्रभाव पड़ सकता है, यहां तक कि मौत भी हो सकती है।

अमरीका के इजारेदार पूंजीपतियों ने अन्य देशों के इजारेदार पूंजीपतियों की तरह, श्रमिकों के शोषण को तेज़ करने और भारी मुनाफ़ा कमाने के लिए कोविड संकट का इस्तेमाल किया है। यह विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा उद्योग के लिये सच है। बेहतर वेतन और काम करने की शर्तों के लिए कैसर परमानेंटे के इंजीनियरों, नर्सों और मानसिक स्वास्थ्य सेवा मज़दूरों का संघर्ष पूरी तरह से न्यायसंगत है।
http://hindi.cgpi.org/21670

Internet Edition

Mazdoor Ekta Lehar Mazdoor
Hindi: http://www.hindi.cgpi.org
English: http://www.cgpi.org
Punjabi: http://www.punjabi.cgpi.org
Thozhilalar Ottrumai Kural
Tamil: http://www.tamil.cgpi.org

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा मज़दूरों की हड़ताल

पूरे उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत कार्यरत, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले सैकड़ों संविदा मज़दूर दिसंबर 2021 की शुरुआत से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। एन.एच.एम. कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लाइज यूनियन द्वारा इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। उनकी मांगों में शामिल हैं – "समान काम के लिए समान वेतन", यानी नियमित कर्मचारियों के साथ संविदा मज़दूरों की वेतन समानता, वेतन संशोधन, नौकरियों का नियमितीकरण, एक मानवीय ट्रान्सफर पालिसी, कोविड–19 स्वास्थ्य बीमा लाभ के साथ–साथ काम पर कोविड–19 से संक्रमित होने वाले मज़दूरों के लिए मुआवज़े की मांग, आदि।

नर्सिंग अधिकारियों, फार्मेसी अधिकारियों, सहायक नर्स–दाइयों (ए.एन.एम.), लैब तकनीशियनों, दंत तकनीशियनों और अन्य चतुर्थ–श्रेणी के कर्मचारियों सहित, एन.एच.एम. के सभी संविदा पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपने और अपने नियमित साथी मज़दूरों के बीच वेतन में भेदभाव का मुद्दा उठाया है। पिछले कई वर्षों में बार–बार विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद, वेतन के समानीकरण और नौकरियों के नियमितीकरण की उनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में स्वास्थ्य विभाग का 80 प्रतिशत से अधिक

हिस्सा एन.एच.एम. के मज़दूर हैं। इनमें आशा कर्मचारी भी शामिल हैं जो महामारी के प्रकोप के समय से, सर्वेक्षण, कांटेक्ट ट्रेसिंग, परीक्षण, सैम्पलिंग और कोविड–19 रोगियों के प्रबंधन के मोर्चे पर काम करते आयें हैं।

लखनऊ में सी.एम.ओ. के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे एन.एच.एम. के संविदा कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। राज्य के अन्य हिस्सों में भी, वे अपने–अपने जिलों में सी.एम.ओ. के कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 10–12 वर्षों से एन.एच.एम. के संविदा मज़दूरों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि एक एन.एच.एम. संविदा कर्मचारी को प्रति माह केवल 12,000–15,000 रुपये का भुगतान किया जाता है, एक ऐसा वेतन जिस पर उनका और उनके परिवार का जीवित रहना असंभव है। हालांकि इन मज़दूरों ने अपने जीवन और स्वास्थ्य को जोखिम में डाला और कोविड–19 महामारी के दौरान लंबे समय तक काम किया, अक्सर पर्याप्त सुरक्षात्मक उपकरणों के बिना भी, इसके बावजूद वे इस तरह के गंभीर अति–शोषण के शिकार बने हुए हैं। चूंकि वे संविदा मज़दूर हैं, इसलिए उन्हें आजीविका की गंभीर असुरक्षा का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने कई बार, महामारी की दूसरी लहर में भी विरोध प्रदर्शन किये हैं, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनकी मांग को अनसुना कर दिया जाता रहा है।

हड़ताली कर्मचारियों के संघर्ष के कारण, राज्य के कई हिस्सों में कोविड–19 परीक्षण और सैम्पलिंग और टीकाकरण सेवाओं के साथ–साथ अन्य स्वास्थ्य सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। हड़ताली कर्मचारियों ने ठान लिया है कि अपनी मांगें पूरी होने तक धरना जारी रखेंगे।

एन.एच.एम. के संविदा मज़दूरों की हड़ताल का वरिष्ठ डॉक्टरों सहित सभी स्थायी कर्मचारियों ने समर्थन किया है, जिनमें से कुछ ने इस तरह से अपने विचार व्यक्त किये – "कोविड–19 के दौरान फील्डवर्क का अधिकांश हिस्सा, आशा कर्मियों द्वारा ही किया गया था। उनके सहयोग से ही पूरी महामारी से लड़ाई लड़ी गई। अपनी समस्याओं के समाधान की उनकी मांग बिलकुल जायज़ है।"

इस बीच पंजाब के बठिंडा में एन.एच.एम. के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी नवंबर के अंतिम सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और उन्होंने भी यही मांगें उठाई हैं। देश के अन्य हिस्सों में भी एन.एच.एम. के संविदा मज़दूर अपने अति–शोषण का लगातार विरोध करते आ रहे हैं।

http://hindi.cgpi.org/21683

बाबरी मस्जिद विध्वंस की 29वीं बरसी पर विरोध सभा

पृष्ठ 1 का शेष

केंद्र सरकार और भाजपा के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार दोनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद के विध्वंस की योजना को अंजाम दिया था। हिन्दोस्तानी राज्य पर नियंत्रण रखने वाले, उस पर हावी इजारेदार पूंजीवादी घरानों ने इस विध्वंस का आयोजन किया था ताकि हिन्दुओं और मुसलमानों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा किया जा सके और उदारीकरण और निजीकरण के कार्यक्रम के ख़िलाफ़, मज़दूरों और किसानों की एकता को तोड़ा जा सके। इसके विध्वंस और विध्वंस के बाद 1992–1993 में मुंबई में हुई सांप्रदायिक हत्याओं के आयोजन के लिए कांग्रेस पार्टी, भाजपा और शिवसेना तीनों ही दोषी थे। लेकिन इतने सालों के बाद भी उनमें से किसी को भी सज़ा नहीं मिली है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि इन अपराधों के पीछे शासक वर्ग का हाथ था और ये पार्टियां केवल शासक वर्ग की योजना को ही लागू कर रही थीं। हिन्दोस्तानी राज्य के सभी अंगों – कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका – ने मिलकर हमारे लोगों के ख़िलाफ़ किए गए इन जघन्य अपराधों को छिपाने और अपराधियों को माफ़ करने के लिए काम किया है।

29 साल पहले, हमारी पार्टी ने स्पष्ट कर दिया था कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद हुआ सांप्रदायिक–जनसंहार, राजनीति के अपराधीकरण और लोगों को राजनीतिक सत्ता से वंचित करने के लिये था।

राजनीति के अपराधीकरण को समाप्त करने के लिए, लोगों को हाशिए पर धकेले जाने से रोकने के लिये और निर्णय लेने की ताक़त को लोगों के हाथों में हासिल करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था और प्रक्रिया में बदलाव लाना आवश्यक है।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी लोगों को समझाती आ रही है कि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक हिंसा के लिए कोई पार्टी विशेष ज़िम्मेदार नहीं है। इसके लिए शासक वर्ग ज़िम्मेदार है। सरकार चलाने वाली पार्टी, केवल शासक वर्ग के एजेंडे को पूरा करने के लिए काम करती है, वह पार्टी शासक वर्ग द्वारा नियुक्त की गई एक प्रबंधन टीम है।

लोगों को सांप्रदायिक आधार पर बांटकर और सांप्रदायिक जनसंहार आयोजित करके राज करना शासक वर्ग का पसंदीदा तरीक़ा है, सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। उसका उद्देश्य होता है इजारेदार पूंजीपतियों के उदारीकरण और निजीकरण के एजेंडे को तेज़ी से लागू करना तथा हमारी आजीविका और अधिकारों पर होने वाले चौतरफा हमलों के ख़िलाफ़ किये जा रहे लोगों के संघर्षों को कमजोर करने के लिये जनता की एकता को तोड़ना।

सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ होने वाले संघर्ष को उदारीकरण और निजीकरण के इजारेदार पूंजीपतियों के एजेंडे के ख़िलाफ़ किये जा रहे संघर्ष से अलग नहीं देखा जा सकता और न ही देखा जाना चाहिए। सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ संघर्ष को शासक वर्ग तथा भाजपा व कांग्रेस पार्टी और शासक वर्ग की सभी विश्वसनीय पार्टियों के ख़िलाफ़ संघर्ष के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संघर्ष को हिन्दोस्तानी राज्य के ख़िलाफ़ किया जाना चाहिए, जो मेहनतकश बहुसंख्यक लोगों पर पूंजीपति वर्ग के अधिनायकत्व की रक्षा करता है।

जिन लोगों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जाता है, उन्हें अपने जीवन, अपने विश्वासों और पूजा के विभिन्न रूपों की रक्षा के लिए, खुद को संगठित करने का पूरा अधिकार है। उन्हें सांप्रदायिक कहना, अपराधियों को दोषी ठहराने की बजाय जो लोग इन अपराधियों के शिकार है, उन्हीं को दोषी ठहराने जैसा होगा।

सांप्रदायिक हिंसा को समाप्त करने का संघर्ष, पूंजीपति वर्ग के शासन को समाप्त करने और उसके स्थान पर मज़दूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के उद्देश्य से चलाया जाना चाहिए। हमें एक नए राज्य का निर्माण करना चाहिए जिसमें मज़दूर और किसान निर्णय लेने वाले हों और समाज का एजेंडा तय करें, एक ऐसा राज्य जो समाज के प्रत्येक सदस्य के ज़मीर के हक़ को एक सार्वभौमिक और अनुल्लंघनीय अधिकार के रूप में सम्मान करता हो और उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम हो। ऐसा राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई भी व्यक्ति, समूह या पार्टी, किसी के भी ज़मीर के अधिकार या किसी अन्य मानव अधिकार का उल्लंघन करता है, तो उस पर तुरंत मुक़दमा चलाया जाए और गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए।

सभी वक्ताओं ने कहा कि सांप्रदायिक अपराधों में शामिल उन सभी गुनहगारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और लोगों के जीवन के अधिकार और ज़मीर के अधिकार की रक्षा करने में विफल रहने के लिए उन्हें सज़ा दी जानी चाहिए, चाहे वे राज्य प्रशासन में किसी भी पद पर हों।

हमारे लोगों की एकता को और मजबूत करने वाले नारों और राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा और राजकीय आतंक को समाप्त करने के लिए संघर्ष को जारी रखने के संकल्प के साथ सभा का समापन हुआ।

http://hindi.cgpi.org/21653

मज़दूर एकता लहर

हिन्दुस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Dec, 2021 Date of publish - 16 Dec, 2021

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 21ए, झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र, शहादरा, दिल्ली से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp 9868811998

देशभर में रेल चालकों द्वारा क्रमिक अनशन और प्रदर्शन

ऑल इण्डिया लोको रनिंग स्टॉफ ऐसासिएशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) की अगुवाई में 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक रेल चालकों ने क्रमिक अनशन और विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। इस प्रदर्शन में देशभर के विभिन्न मंडलों की अलग–अलग लाबियों पर कार्यरत रेल चालक, शंटर और सहायक चालक शामिल हुये। उन्होंने कई जगहों पर प्लेटफार्मों तथा लाबियों पर प्रदर्शन आयोजित किये, जिनमें महिला रेल चालकों की भागीदारी भी बड़ी संख्या में रही।

रेल चालकों ने अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर, इस अनशन और प्रदर्शन का आयोजन किया था। प्रदर्शन के दौरान रेल चालकों ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि रेलवे में चालकों और गार्डों के खाली पदों

पर नियुक्तियां करने की बजाय, मौजूदा कर्मचारियों से तय समय सीमा से अधिक समय तक काम करवाया जा रहा है। रेल चालक और अन्य रनिंग स्टाफ बिना आराम किये कई–कई घंटे तक काम करने को मजबूर हैं, जिससे दुर्घटना होने का ख़तरा बना रहता है। उनकी मांग है कि हाई पावर कमेटी की अनुसंशा के अनुसार 8 घण्टे की ड्यूटी का नियम लागू किया जाए। रेलवे में खाली पड़े पदों को तत्काल भरा जाये।

उन्होंने ध्यान दिलाया कि रेलवे में हर काम को ठेके पर दिया जा रहा है। यहां तक कि रेल चालक और गार्ड भी ठेके पर तैनात किये जा रहे हैं। मुद्रीकरण के नाम से सवारी गाड़ियों, माल गाड़ियों और स्टेशनों का संचालन भी ठेके पर दिया जा रहा है। इस प्रकार से रेलवे की करोड़ों की संपत्ति का निजीकरण किया जा रहा है। मुनाफ़े की लालच में रेल गाड़ियों का परिचालन बिना गार्ड के ही करवाया जा रहा है। यह संभावित ख़तरे की ओर इशारा करता है।

विदित रहे कि रेल चालक निजीकरण के विरोध में, महिला चालकों के लिये मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम करने तथा अपनी काम की हालतों को बेहतर बनाने को लेकर लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं।

निजीकरण के ख़िलाफ़ रेल चालकों का यह संघर्ष पिछले कई सालों से चल रहा है। 2021 में वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई मुद्रीकरण की योजना का रेल चालकों द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। रेलवे में किये जा रहे निगमीकरण के विरोध में उन्होंने कई प्रदर्शन आयोजित किये हैं। उन्होंने मांग उठाई कि नये श्रम कानूनों (चार श्रम संहिताओं) को वापस लिया जाए, नई पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाये। महिला रनिंग स्टाफ के लिये मूलभूत सुविधायें विकसित की जायें।

अपने संघर्ष को लगातार जारी रखने के संकल्प और 'रेल बचाओ देश बचाओ' के नारे के साथ यह तीन दिवसीय कार्यक्रम समाप्त हुआ।

http://hindi.cgpi.org/21657

किसानों के लिए आगे का रास्ता

पृष्ठ 1 का शेष

नोटबंदी, उसके बाद 2019 के नवंबर में सी.ए.ए. कानून का पास किया जाना, फिर 2020 में अचानक लॉक डाउन लग जाने के बाद मज़दूरों के प्रति सत्ता की बेरहम उदासीनता, जिसके कारण करोड़ों–करोड़ों लोगों को अपने गांवों की तरफ पैदल ही चलना पड़ा, लॉकडाउन के बीच में मज़दूर–विरोधी और किसान–विरोधी क़ानूनों का पास किया जाना, इन सबकी वजह से, वर्तमान व्यवस्था मज़दूरों और किसानों की नज़रों में बहुत बदनाम हो चुकी है।

हुक्मरान वर्ग यह नहीं चाहता है कि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था पूरी तरह बदनाम हो जाए और मज़दूर–किसान क्रांतिकारी विकल्प की ओर आगे बढ़ें। यह संसदीय व्यवस्था सबसे कुशल तरीक़े से तब चलती है जब दो पार्टियां या गठबंधन होते हैं जो बारी–बारी से एक दूसरे की जगह लेकर सरकार चलाने का काम करते हैं। हुक्मरान वर्ग ने समझ लिया कि इस समय एक ऐसे भरोसेमंद संसदीय विपक्ष का अभाव है, जो मेहनतकश लोगों को बुद्धू बना सके। जब किसान दिल्ली की सरहदों पर आ पहुंचे, तो ठीक उसी समय से हुक्मरानों ने इस संघर्ष का फ़ायदा उठाकर, भाजपा के एक भरोसेमंद संसदीय विपक्ष को विकसित करने के अपने एजेंडा को बढ़ावा देने का काम शुरू कर दिया। ऐसा करने के बाद हुक्मरानों ने फ़ैसला किया कि अब कुछ मांगों को मान लिया जाए और एक समझौता करके आंदोलन को ख़त्म किया जाए। इस समझौते को हुक्मरान वर्ग और उसके नेतागण "लोकतंत्र की जीत" बता रहे हैं।

हमारा ऐतिहासिक अनुभव, जिसमें 1970 के दशक में लोकतंत्र की पुनः स्थापना का आंदोलन और हाल में भ्रष्टाचार–विरोधी आंदोलन शामिल हैं, यह साफ़–साफ़ दिखाता है कि वर्तमान व्यवस्था के चलते, चुनावों के ज़रिए सत्ता पर बैठी हुई पार्टी को बदल देने से मेहनतकश लोगों के जीवन की हालतों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। आज मज़दूरों और किसानों के लिए यह उम्मीद करना व्यर्थ होगा कि चुनाव द्वारा फिर से पार्टी बदलने से उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

किसानों का संघर्ष सुरक्षित रोज़ी–रोटी के लिए मेहनतकश जन समुदाय के संघर्ष का हिस्सा है। यह संघर्ष हमारे जीवन पर असर डालने वाले फ़ैसलों को लेने में लोगों की भूमिका को सुनिश्चित करने के संघर्ष का हिस्सा है। इस संघर्ष को वर्तमान व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रिया को बदलने के नज़रिए और उद्देश्य से आगे बढ़ाना होगा, ताकि मेहनतकश जनसमुदाय खुद अपने फ़ैसले लेने में सक्षम हों। मज़दूरों और किसानों की हुकूमत स्थापित करके ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि कृषि और पूरी अर्थव्यवस्था को लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चलाया जाएगा, न कि इजारेदार पूंजीपतियों की लालच को पूरा करने के लिए।

किसानों के सामने फौरी काम है अपनी जुझारू एकता को बचाकर रखना और उसे सांप्रदायिक आधार पर या चुनावी प्रतिस्पर्धाओं के आधार पर तोड़ने की कोशिशों को नाक़ामयाब करना। फ़ौरी काम है मज़दूरों और किसानों को खुद को सत्ता में लाने और अर्थव्यवस्था को नई दिशा, समाजवाद की दिशा, में चलाने के अपने स्वतंत्र कार्यक्रम के इर्द–गिर्द अपनी राजनीतिक एकता को बनाना और मजबूत करना।

http://hindi.cgpi.org/21664

भुबनेश्वर में आंगनवाड़ी कर्मियों का विरोध प्रदर्शन

कई हजारों आंगनवाड़ी कर्मियों ने 6 दिसंबर और 13 दिसंबर को ओड़िशा की राजधानी भुबनेश्वर में राज्य विधानसभा के पास विरोध प्रदर्शन किया। आल ओड़िशा आंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन के झंडे तले संगठित होकर, उन्होंने यह विरोध प्रदर्शन किया।

आंगनवाड़ी कर्मियों ने "हमारी मांगें पूरी करो!" के नारे लगाकर सरकार को एक 17 सूत्री मांगपत्र पेश किया। उनकी मांगें हैं – सभी आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए वेतन वृद्धि, आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए प्रति माह, हेल्पर के लिए न्यूनतम वेतन 10,500 रुपए प्रति माह, सेवा निवृत्ति की उम्र में बढ़ोतरी, सुपरवाइजर के अतिरिक्त पद, ज्यादा गर्मी की छुट्टियाँ और पेंशन।

http://hindi.cgpi.org/21679